न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 120/2023(GCMS : 2023/208)

आई.सी.आई.सी.आई. होम फाइनेंस लिमिटेड एक पंजीकृत कम्पनी (पंजीकृत अन्तर्गत कम्पनीज एक्ट, 1956) पंजीकृत कार्यालय – आई.सी.आई.सी.आई, बैंक टॉवर ब्रान्द्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, मुम्बई – 400051 तथा शाखा कार्यालय–श्रीगंगानगर, राजस्थान जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री राहुल व्यास

बनाम

1. **राजेश कुमार** निवासी पता जाजी रोड, वार्ड नं. 11 न्यू सूरतगढ़ श्रीगंगानगर एवं सम्पत्ति पट्टा नं. 979, वार्ड नं. 16, सूरतगढ, श्रीगंगानगर
2. **प्रभुदयाल अग्रवाल** निवासी पता वार्ड नं. 16, सिविल कोट, सूरतगढ़,श्रीगंगानगर प्रभुदयाल पुत्र श्री इन्द्रचंद अग्रवाल निवासी शमशान घाट के पास, वार्ड नं. 11 न्यू सूरतगढ़, श्रीगंगानगर
3. **श्री सुभाष कुमार,** निवासी पता वार्ड नं. 16, सिविल कोट, सूरतगढ़,श्रीगंगानगर सुभाष कुमार पुत्र प्रभुदयाल मित्तल, निवासी शमशान घाट के पास, वार्ड नं. 11 न्यू सूरतगढ़, श्रीगंगानगर
4. **सरला देवी** निवासी पता मैसर्स भगवती रेडीमेड प्लेस, सूरतगढ, श्रीगंगानगर सरला देवी पत्नी प्रभुदयाल निवासी वार्ड नं. 16, सिविल कोट, सूरतगढ़,श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

10.10.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री हरवीर सिंह बराड़ ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण राजेश कुमार, प्रभुदयाल अग्रवाल, सुभाष कुमार एवं सरला देवी को ऋण सुविधा के रूप में राशि 20.90/–लाख रूपये (अखरे रूपये बीस लाख नब्बे हजार मात्र) के ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 27.12.2017 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी प्रभुदयाल द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 979, वार्ड नं. 16, सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया, तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण राजेश कुमार, प्रभुदयाल अग्रवाल, सुभाष कुमार एवं**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rahi
Date: 2023.10.12 13:02:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

सरला देवी को ऋण सुविधा के रूप में खाता संख्या **NHSTG00002154520 & NHGSTG00001254527** में क्रमशः **18.22/– लाख रूपये एवं 2.68/– लाख रूपये** कुल **20.90/– लाख रूपये** (अखरे रूपये बीस लाख नब्बे हजार मात्र) **के ऋणी राशि की स्वीकृति दिनांक 27.12.2017 को प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी प्रभुदयाल ने अपनी **अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 979, वार्ड नं. 16, सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर,** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 08.05.2023 **को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा **13(2) के नोटिस दिनांक 09.05.2023** को जारी कर दिनांक 12.05.23 को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये है। धारा 13(2) नोटिस अप्रार्थीगण को भिजवाने की पोस्ट ऑफिस रसीद एवं प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, **जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो चुकी है।**

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी प्रभुदयाल की **अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 979, वार्ड नं. 16, सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर,** जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2023.10.12 13:02:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 09.05.2023 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 09.05.2023 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस पर अ**प्रार्थीगण दिनांक 12.05.2023 को ही रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अप्रार्थीगण के धारा 13(2) नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है** जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी प्रभुदयाल के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी आई.सी.आई.सी.आई. होम फाइनेंस लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी प्रभुदयाल अग्रवाल **द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 979, वार्ड नं. 16, सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 10.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.10.12 13:02:28 IST
Reason: SelfAttested

(अंशदीप)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर